UPLP120008142017

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज(जू0डि0) मोहम्मदी, खीरी।

उपस्थित–पिंकी वर्मा (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

(जे0ओ0 कोड–यू0पी0 3627)

मुकदमा फौज0 संख्या–2314/2017

एन0सी0आर0सं0–194/2016,
धारा–323,504 भा0दं0सं0,
थाना–मैगलगंज, जिला–लखीमपुर खीरी।

राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी

———अभियोजक

बनाम

1. जगदीश पुत्र खुशीराम,
2. भुल्लन पुत्र खुशीराम,
3. सुआ पुत्र खुशीराम, समस्त निवासीगण ग्राम भगौतीपुर, थाना मैगलगंज, जिला खीरी।

———अभियुक्तगण।

तारीखवार घटनाक्रम–

क्रम संख्या	दिनांक	घटना/कार्यवाही
1.	12.08.2016	घटना
2.	13.08.2016	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	18.10.2017	आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया
4.	02.05.2018	बयान मुल्जिम विरचित किया गया
5.	02.01.2024	अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया
6.	08.01.2024	बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 विरचित
7.	12.06.2026	निर्णय

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना मैगलगंज, जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा एन0सी0आर0सं0–194/2016, अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण जगदीश, भुल्लन व सुआ के विरूद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा के लड़के संगम बाबू व गांव के उपेन्द्र पुत्र जगदीश से मारपीट हुई। गांव के बाहर वादिनी मुकदमा का लड़का आया। बाद में गांव के जगदीश व भुल्लन व सुआ पुत्रगण खुशीराम यह लोग वादिनी मुकदमा के दरवाजे पर आकर वादिनी मुकदमा के लड़के को फिर से मारने लगे। वादिनी मुकदमा ने मना किया तो प्रतिवादी लोग वादिनी मुकदमा को गंदी–गंदी गालियां दी। यह घटना दिनांक–12.08.2016 समय करीब 6 बजे शाम की है। विपक्षीगण काफी हेकड़ व दबंग किस्म के हैं।

3. वादी मुकदमा द्वारा लिखित सूचना के आधार पर उक्त घटना एन0सी0आर0सं0–194/2016 अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 थाना मैगलगंज में दर्ज की गयी। विवेचना के क्रम में घटना स्थल का

निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा साक्षियों के बयान लिये गये और साक्ष्य संकलन उपरान्त अभियुक्तगण जगदीश, भुल्लन व सुआ के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया।

4. आरोप पत्र पर दिनांक–18.10.2017 को संज्ञान लिये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को तलब किया गया जिस पर अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपनी–अपनी जमानत दाखिल की। अभियुक्तगण जगदीश, भुल्लन व सुआ के विरूद्ध अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दिनांक–02.05.2018 को बयान मुल्जिम बनाया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा दोषी न होने का अभिवाक्य करके विचारण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान के बयान मौखिक साक्ष्य के रूप में लेखबद्व करवाये गये।

क्रमांक	**गवाह का नाम**	**गवाह का प्रकार**
पी0डब्लू01	सरोजनी देवी	वादिनी मुकदमा
पी0डब्लू02	संगम बाबू	मजरूब
पी0डब्लू03	श्रवण कुमार	गवाह
पी0डब्लू04	कमलेश	चश्मदीद गवाह

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं, जिनकी सूची निम्नलिखित है–

क्रमांक	**दस्तावेज का विवरण**	**जिस साक्षी ने साबित किया**
प्रदर्श क–01	तहरीर	पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा

6. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा साक्षी पी0डब्लू01 सरोजनी देवी, पी0डब्लू02 संगम बाबू, पी0डब्लू03 श्रवण कुमार व पी0डब्लू04 कमलेश के बयान को रंजिशन दिये जाना तथा मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य दिये जाने से इनकार किया।

7. न्यायालय द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

8. साक्षी पी0डब्लू01 लाखन ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना हुये करीब दो साल हुये हैं। शाम 6 बजे की बात है। मेरे लड़के संगम बाबू का गांव के उपेन्द्र से मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद जब मेरा लड़का मेरे घर आया, तब तक गांव के जगदीश, भुल्लन और सुआ मेरे दरवाजे पर आ गये और मेरे लड़के को फिर से लात घूसों से मारने पीटने लगे तो मैंने ऐसा करने से मना किया तो उक्त लोग मुझे मां बहन की गाली देने लगे और मुझे भी लात घूसों से मारा पीटा। हम लोगों के शोर पर गांव के कमलेश तथा श्रवण कुमार आ गये थे। जो घटना देखे और बीच–बचाव कराये थे। शाम होने की वजह से मैं अपने लड़के के साथ अगले दिन थाने गयी थी और घटना के बाबत तहरीर देकर रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखने के बाद मेरे लड़के का मेडिकल सी0एच0सी0 पसगवां में हुआ था। मैंने अपना मेडिकल गहिरा चोट होने की वजह से नहीं कराया था। एन0सी0आर0 की कार्बन प्रति जो मुझे मिली पत्रावली में संलग्न है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। इस पर प्रदर्श क1 डाला गया। कोई कार्य न होने

पर मैंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आदेश कराया था। मैंने प्रा0पत्र अदालत में दिया था। उसकी कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था और पूंछतांछ की थी।

साक्षी पी0डब्लू01 से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किए जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि मारपीट के समय दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। उस समय मेरे लड़के की उम्र करीब 16 वर्ष थी। इस समय इंटर पास हो गया है। मारपीट पहले मेरे लड़के व उपेन्द्र के बीच हुआ था। उस समय उम्र में मेरा लड़का बड़ा था। घटना के समय मेरा लड़का उपेन्द्र से एक साल बड़ा है। मुझे नहीं मालूम लड़ाई झगड़ा खेल–खेल में हुआ या कैसे हुआ था। मारपीट के समय मैं घर पर थी, वहां मौजूद नहीं थी। मेरा लड़का घर आया था, उपेन्द्र से मारपीट वाली बात हमसे बतायी थी। मैं अपने मायके में रह रही हूं। मुल्जिमान मेरे गांव के रिश्ते में चाचा लगते हैं। मैं बढ़ई हूं। वह लोग यादव हैं। इन तीनों लोगों ने घर से खींचकर मुल्जिम भुल्लन, जगदीश व सुआ मेरे लड़के को घर से खींचकर मारने पीटने लगे थे। मैं घर में थी। किस तारीख की घटना है, तारीख ध्यान नहीं है। मारपीट के समय मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे। घटना 6 बजे की है, शाम की घटना है। मारपीट के समय मैं चिल्लाने लगी थी। मारपीट के समय कमलेश व श्रवण ने हम लोगों को बचाया था। घटना स्थल पूरब–रास्ता, पश्चिम–परसराम का मकान, उत्तर–तालाब, दक्षिण–श्रवण व गेंदन लाल का मकान है। मैं रिपोर्ट लिखाने दूसरे दिन थाने गयी थी। साथ में मेरा लड़का व पति था। थाने 11–12 बजे पहुंच गयी थी। घर से 8 बजे साइकिल से गयी थी। थाने पर प्रार्थना पत्र मुंशी जी ने लिखी थी। उस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। लड़के को बचाने में मेरे घूंसा मारा था और गंदी–गंदी गाली दी थी। मेरे घूंसा भुल्लन ने मारा था और किसी ने नहीं मारा था। इसके बाद वाद विवाद नहीं हुआ था। वह लोग अपने घर चले गये थे। थाने पर रिपोर्ट पढ़कर सुनाया था। मुंशी जी को कोई पैसा नहीं दिया था। रिपोर्ट लिखाने के बाद सीधे घर चली आयी थी। डाक्टरी मेरे लड़के की उसी दिन पसगवां में कराई थी। डाक्टरी कराने पसगवां साथ में नहीं गयी थी। मैं तब तक मैगलगंज थाने में बैठी रही थी। मारपीट में मेरे विशेष चोट नहीं आयी, हल्की–फुल्की चोट आयी थी। मैंने दवा नहीं ली थी। इन लोगों से मेरा बहुत कम आना जाना था। मेरी मुल्जिमानों से पुरानी रंजिश नहीं है। पुलिस दूसरे दिन आयी थी। न्यायालय से आदेश करवाया था। उसके बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। यह कहना गलत है कि स्कूल पर साइकिल से साथ आने पर विवाद हुआ हो। मेरे पति घटना वाले दिन शाम को आ गये थे। जब घर आये तब उनको जानकारी दी थी। उस दिन गांव में ही काम कर रहे थे। यह कहना गलत है कि काम करने के लिए कहा हो न काम करने के लिए झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। यह कहना गलत है कि सुलह समझौता वाली बात हुई हो। यह कहना गलत है कि उपेन्द्र ने संगम बाबू को स्कूल से साइकिल पर न बैठाया हो तभी मार पीट हुई हो।

साक्षी पी0डब्लू01 से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा धारा–311 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत जिरह किए जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय अंधेरा हो रहा था। बरसात का मौसम था। मैंने मारपीट होते नहीं देखा था और न ही गंदी–गंदी गालियां देते हुए सुना था। मेरे बेटे ने मुझको बताया था, मोहल्ले वालों के बहकावे में आकर थाने चली गयी थी।

साक्षी पी0डब्लू01 ने अपनी पुनः परीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि मुल्जिमान से समझौता हो गया है। पहले बयान में मैं मोहल्ले वालों के साथ आयी थी। उनके कहने पर बयान दे दिया था। यह कहना मुल्जिम से मिल जाने के कारण सही बात नहीं बता रही हूं।

9. साक्षी पी0डब्लू02 संगम बाबू ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दो

साल पहले की है। मैं अपने गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान खेल के ही कुछ बच्चों से मेरा विवाद हो गया था। उस खोल में गांव के उपेन्द्र से मेरा झगड़ा हो गया था। इसी बात को लेकर घ ाटना के दिन शाम 6 बजे उपेन्द्र, जगदीश, भुल्लन तथा सुआ मेरी दरवाजे पर आ गये और मुझे गाली देने लगे। जब मैंने मना किया तो वो लोग मुझे लात घूसों से मारने पीटने लगे हैं, गाली देने लगे और कहा कि हम तुम लोगो को मार पीट कर गांव से भगा देंगे। चोट लगने पर हम लोग थाने गये वहां रिपार्ट एन0सी0आर0 लिखाई थी। पुलिस वाले मुझे डॉक्टरी के लिए पसगवां सरकारी अस्पताल ले गये। हम लोगों को काफी चोटें आयी थीं और नाक से खून भी निकल रहा था। दरोगा जी ने मेरा बयान थाने पर लिया था। आज मैं सम्मन पर न्यायालय बयान देने आया हूं।

साक्षी पी0डब्लू02 से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किए जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि मैं बी0ए0 में पढ़ रहा हूं। इंटर ककरहा से किया था। झगड़े के समय मैं कक्षा 11 में था। मैं और उपेन्द्र दोनों एक विद्यालय में नहीं पढ़ता था। मैं अपने गांव में पढ़ता था, मुझे यह नहीं याद है कि हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे थे। मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। मेरे साथ मे ंऔर बच्चे खेल रहे थे। बच्चे मेरे गांव के थे। उपेन्द्र भी उसी खेल में खेल रहा था। फिर कहा उपेन्द्र मेरा साथ खेल नहीं रहा था। साइकिल चला रहा था। उपेन्द्र हमसे उम्र में छोटा है। एक डेढ़ साल छोटा है। मैं खड़ा था। उपेन्द्र ने मेरे पैर पर साइकिल चढ़ा दी। मेरी पहले से कोई रंजिश नहीं थी। साइकिल पैर पर चढ़ा दी, मैंने कुछ नहीं कहा मैं वहां पर खड़ा रहा। उपेन्द्र भी वहीं खड़ा रहा। घटना वाले दिन की तारीख मुझे नहीं मालूम, लेकिन समय शाम 6 बजे का था। दिन कौन सा था, यह भी ध्यान नहीं है। उपेन्द्र ने मुझे घटना वाले दिन गंदी–गंदी गाली दी थी। इसके चाचा भुल्लन जो मौके पर आ गये थे उन्होंने हमको लात घूसों से मारा पीटा था। घटना के समय हम तीन लोग, मैं, उपेन्द्र व भुल्लन मौजूद थे। घटना के पूरब में गांव है, पश्चिम तालाब है, उत्तर गांव ककरहा, दक्षिण में खाली जगह है। मैं घटना वाले दिन थाने नहीं गया था। घटना वाले दिन हमारे पिता जी गांव में काम कर रहे थे। जहां पर मारपीट हुई थी, वह दूरी 100 फिट है। मेरे मकान से उपेन्द्र के मकान की दूरी लगभग 100 फिट है। घटना स्थल से अपने घर पहुंचने में मुझको एक मिनट लगा, घर पर भी लड़ाई हुयी। मुल्जिम ने सुआ व जगदीश ने घर से खींचकर मारा पीटा। उसने खुद बताया कि मुझको पटक दिया, नाक से खून गिरने लगा। मुल्जिम जगदीश व सुआ ने मुझे घर से खींचकर मारा पीटा था। घर के सामने चौराहे पर मारा पीटा, जिस समय मारपीट रहे थे, कितने लोग मौजूद, मैं चिल्लाया मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी आयी और उन्होंने मेरी मम्मी को भी मारा पीटा। मेरी माता जी को भुल्लन ने मारा और किसी ने मारा नहीं था। गाली दिये थे और बोले कि गांव से तुम्हें भगा दुंगा, दुबारा मुझे जहां पर मारा था, उसके पूरब रास्ता, पश्चिम भी रास्ता, उत्तर साइड में मेरा मकान है, दक्षिण में भी रास्ता है। मुल्जिमान वहां करीब 15–20 मिनट तक वहां रूके रहे। रिपोर्ट लिखाने मैं गया, तारीख मुझे नहीं पता जो प्रा0पत्र मैंने थाने पर दिया था, वह बाहर किसी ने लिखा था। प्रा0पत्र हस्ताक्षर किसने बनाया, मुझे नहीं पता, डाक्टरी कराने मैं और मेरे पापा और एक सिपाही साथ में गया था। मेरी मम्मी को चोट नहीं लगी थी। मुझे ध्यान नहीं कि दरोगा जी कब नक्शा बनाने आये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मुल्जिमान रिश्ते में मेरे मामा हैं। मेरे साथ मेरी माता जी भी थाने गयी थीं। थाने 10–11 बजे मोटरसाइकिल से गये। थाना और गांव के दूरी नहीं मालूम, मैं घर से थाने के लिए 10 व 11 बजे निकला था। मुझे नहीं पता कि पसगवां अस्पताल कितने बजे पहुंचा। मुझे नहीं पता रिपोर्ट मेरे पापा ने उपेन्द्र के खिलाफ लिखाई थी। यह कहना गलत है कि यह लोग खेल में उपेन्द्र को खेल में शामिल नहीं किया, इसलिए झगड़ा हुआ।

10. साक्षी पी0डब्लू03 श्रवण कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैंने मारपीट होते दिनांक–12.08.2016 को शाम 6 बजे ग्राम भगौतीपुर में जगदीश, सुआलाल व भुल्लन के द्वारा सरोजनी देवी, संगम बाबू को मारपीट करते व गाली गलौज करते हुए न देखा था और न ही सुना था। अभियोजन की याचना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

साक्षी पी0डब्लू03 से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किए जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि गवाह को धारा–161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया तो मना कर दिया, कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। घटना के समय मैं बाहर मजदूरी करने गया था। अभियुक्तगण से मेरी अच्छी जान–पहचान है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिले होने के कारण सही गवाही नहीं दे रहा हूं।

11. साक्षी पी0डब्लू04 कमलेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि अब से लगभग पांच साल पहले मैंने अपने गांव के जगदीश, भुल्लन व सुआ को अपने हाथों में लाठी डंडे लिये हुए सरोजनी देवी व संगम बाबू को मारते पीटते हुए नहीं देखा था, न ही गाली देते हुए सुना था।

साक्षी पी0डब्लू04 से बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किए जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि गवाह को धारा–161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया तो गवाह ने इंकार कर दिया कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूं।

<u>निष्कर्ष</u>

12. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 12.08.2016 समय 18:00 बजे, बहद स्थान भगौतीपुर, थाना मैगलगंज, जिला खीरी में अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा के लड़के से मारपीट की व वादिनी मुकदमा को भी गाली गलौज कर अपराधिक अभित्रास कारित किया।

धारा–323 भा0दं0सं0 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से किसी के साथ मारपीट करके उसे चोट पहुंचाता है, तो ऐसे मामलों में धारा–323 भा0दं0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

धारा–504 भा0दं0सं0 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है और ऐसा करके किसी भी व्यक्ति को उकसाने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे मामलों में धारा–504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

13. उपरोक्त के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन किया, किन्तु धारा–311 सी0आर0पी0सी0 के तहत की गयी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई अपराध कारित नहीं किया। साक्षी पी0डब्लू0–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है, उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी कथन किए हैं। इस प्रकार उक्त साक्षीगण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाते हैं। साक्षी पी0डब्लू0–3 व पी0डब्लू0–4 को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14. उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साक्षी पी0डब्लू0–2 के शरीर पर जो चोटें पायी गयी हैं, चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार वह दो–तीन दिन पुरानी है, जबकि अभियोजन द्वारा मेडिकल 24 घंटे के अंदर करवाया गया।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3678** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अभियोजन का दायित्व है कि वह अपना केस निश्चितता से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये संदेह का लाभ अभियुक्तगण पाने का अधिकारी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **हरवीर सिंह बनाम शीशपाल एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 4958** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करने के लिए सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नहीं बदलता है।

16. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में अभियोजन के विरूद्ध धारा–323,504 भा0दं0सं0 का अपराध संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः ऐसी दशा में अभियुक्तगण जगदीश, भुल्लन व सुआ पर धारा–323,504 भा0दं0सं0 का अपराध युक्त–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जगदीश, भुल्लन व सुआ निवासीगण ग्राम भगौतीपुर, थाना मैगलगंज, जिला खीरी को एन0सी0आर0सं0–194/2016, अंतर्गत धारा–323,504 भा0दं0सं0 थाना मैगलगंज जिला खीरी के तहत अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के बंधपत्र और जमानतनामें अगले 6 माह तक अन्तर्गत धारा 437ए सीआरपीसी के तहत वैध रहेंगे तथा इस दौरान माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील न होने की स्थिति में स्वतः निरस्त हो जाएगें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की सूरत में इन्हीं जमानतदारों का दायित्व होगा कि वह तलब करने पर अभियुक्तगण को माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।

वर्तमान मामले में कोई भी पीड़ित पक्ष प्रकट नहीं होता है जिसे धारा 357ए सीआरपीसी के तहत प्रतिकर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। अतः ऐसी स्थिति में धारा 357 सीआरपीसी के तहत प्रतिकर संबंधी कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

दिनांक–12.06.2026

(पिंकी वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक–12.06.2026

(पिंकी वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी03627

Digitally signed by Pinky Verma
Date: 2026.06.15 11:07:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court